

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक : एफ17(8)4 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / परिपत्र / 2019 / 1730

दिनांक : 09.07.2025

परिपत्र-9

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 12.02.2021 के अनुसार जन आधार योजनान्तर्गत नामांकन एवं अद्यतन के ग्रामीण क्षेत्र के प्रथम स्तरीय सत्यापन हेतु ग्राम विकास अधिकारी तथा द्वितीय सत्यापन हेतु ब्लॉक विकास अधिकारी अधिकृत है। नगर निकायों क्षेत्रों के प्रथम सत्यापन कार्य के लिए आयुक्त/उपायुक्त/अधिशायी अधिकारी अधिकृत है तथा द्वितीय सत्यापन के कार्य हेतु शहरी क्षेत्रों के लिए उपखण्ड अधिकारी अधिकृत है। वर्तमान में दोनों प्रकार के सत्यापन हेतु 10-10 दिवस की समय सीमा निर्धारित है।

सत्यापन की प्रक्रिया को त्वरित करने तथा आमजन की समस्याओं के प्रभावी समाधान हेतु जन आधार योजनान्तर्गत नामांकन एवं अद्यतन के ग्रामीण क्षेत्र के द्वितीय स्तरीय सत्यापन हेतु पूर्व की प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए द्वितीय स्तरीय सत्यापन के लिए ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय स्तरीय सत्यापन की नवीन व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी:-

सत्यापन का क्षेत्र	सत्यापन की व्यवस्था	
	सत्यापन का स्तर	
	प्रथम सत्यापन	द्वितीय सत्यापन
ग्रामीण क्षेत्र (ब्लॉक स्तर)	ग्राम विकास अधिकारी	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी
शहरी क्षेत्र (नगर निकाय)	नगरीय निकायों के आयुक्त/ उपायुक्त/अधिशायी अधिकारी	उपखण्ड अधिकारी

सत्यापन की कार्यव्यवस्था निम्न प्रकार रहेगी:-

1. **ग्रामीण क्षेत्र :-** ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रथम सत्यापन उपरान्त प्रकरण निर्धारित समयावधि में द्वितीय सत्यापन हेतु संबंधित ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित किया जायेगा।
2. **शहरी क्षेत्र :-** नगरीय निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशायी अधिकारी द्वारा प्रथम सत्यापन उपरान्त प्रकरण निर्धारित समयावधि में द्वितीय सत्यापन हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित किया जायेगा।

Sudhansu Pant
(सुधांशु पंत) 9/7

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष,
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण



जन आधार



International Year
of Cooperatives
2025

क्रमांक : एफ17(8)4/डीईएस/रा.ज.आ.यो./परिपत्र/2019/1731-48 दिनांक : 09.07.2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक (तकनीकी), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, संभाग कार्यालय, राजस्थान।
9. जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
12. तकनीकी निदेशक, जन आधार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
13. संयुक्त/उप निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय, समस्त राजस्थान।
14. एस.ए./एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिला मुख्यालय।
15. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशोषी अधिकारी, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
16. उपखण्ड अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
17. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
18. रक्षित पत्रावली।

Sudhansh Pant 9/7

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष,
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण